संख्या- 647/26-ब0प्र0-2013-6(35)/2006

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर, 2013

विषय:- उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना हेतु वर्ष 2013-14 के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निगम के पत्र संख्या-2357/ले0 अनु0/बजट/2013-14 दिनांक 14 अक्टूबर, 2013 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजनानतर्गत अवशेष लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति किये जाने हेतु रू0 8,77,89,000/- (रू0 आठ करोड़ सतहत्तर लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का होगा।

3- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षहिरत बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार धनराशि जनपदों को आवंटित की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय/उपभोग किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व वर्षो में योजना में अवमुक्त धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। स्वीक़त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी और व्यय की गयी धनराशि तथा लाभार्थियों की सूची आदि के सम्बन्ध में अन्य विवरण निर्धारित रूप पत्रों पर अपर जिला विकास अधिकारी(स0क0) / पदेन जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा लाभार्थियों की सूची शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और किसी भी अन्य

http://shasanadesh.up.nic.in

मद में धनराशि का उपभोग शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरित धनराशि को जनपदों को उनके लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्ध करायी जायेगी।

8- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध करायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय -16-ए के नियम लागू होगें।

9- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनागत-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0107-किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत दुकान निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता से अंशदान(के.100/रा.0-के.)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2069/दस-2013, दिनांक 13 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

संख्या- 647 (1)/26-ब0प्र0-2013-तद्-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
4. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-3/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनु0
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in